

25-08-25

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी या वादी
सँप उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज लगाने
पर भी उपस्थित नहीं हुए अतः वादी का यह वाद
अदम-पैरवी - अदम एजिरी में इसी स्तर पर
खातिज किया जाता है। पत्रावली का तर्जिब
लकमील होकर दाखिल रफतार हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में
सुनाया गया।



(सुनीलकुमार-गौहान)
R.A.S.